

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 1903
गुरुवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

- भारत में होमस्टे नीति
1903. श्री मोहम्मद नदीमुल हक:
क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) देश में होमस्टे के पंजीकरण की विस्तृत प्रक्रिया क्या है;
- (ख) देश में पंजीकृत होमस्टे की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि ज्ञान, कौशल और अनुभव की कमी के कारण देश में होमस्टे अवहनीय होते जा रहे हैं; और
- (घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अवहनीयता के मुद्दों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न इकाईयों के लिए एकल/समान्य प्लेटफार्म के रूप में राष्ट्रीय आतिथ्य उद्योग एकीकृत डाटाबेस (या निधि+) स्थापित किया है। होमस्टे जैसी इकाईयों का इस पोर्टल पर पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकृत इकाईयाँ अपनी पंजीकृत पहचान का प्रयोग करते हुए पर्यटन मंत्रालय की स्वैच्छिक योजना के तहत वर्गीकरण सहित विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाओं का लाभ उठा सकेगी। पोर्टल पर पंजीकरण हेतु प्रक्रिया का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): देश में निधि+ पोर्टल में पंजीकृत होमस्टे की कुल संख्या का विवरण अनुबंध-II पर दिया गया है।

(ग) और (घ): पर्यटन मंत्रालय ने भारत में होमस्टे की संवहनीयता का पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन या सर्वेक्षण शुरू नहीं किया है। तथापि होमस्टे को बढ़ावा देने, घर के मालिकों को होमस्टे के अनुमोदन के लिए नामांकन करवाने तथा अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय देशभर के होमस्टे के मालिकों के लिए अक्सर क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करता है। इन कार्यशालाओं में संप्रेषण कौशल, कुशल व्यवहार का महत्व, स्वच्छता, हाउसकीपिंग प्रथाएं, स्थानीय समुदायों के लिए पर्यटन का महत्व पर विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुति शामिल है।

भारत में होमस्टे नीति के सम्बन्ध में दिनांक 16.03.2023 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 1903 के भाग (क) के उत्तर में विवरण

निधि+पोर्टल पर होमस्टे के पंजीकरण हेतु विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है:—

1. निधि+पोर्टल के होम पेज में “आवास इकाई” को चुनें।
2. डिस्क्लेमर को पढ़ें और **Accept & Proceed** पर क्लिक करें।
3. अनुपालन हेतु निर्देशों को पढ़ें और **ACCEPT & PROCEED** पर क्लिक करें।
4. उप-श्रेणी में **Homestay** को चुनें।
5. अपेक्षित विवरण से सम्पूर्ण फार्म को भरें और **PROCEED** पर क्लिक करें।
6. अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर को सत्यापित करने के लिए ओटीपी डालें।
7. अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी को सत्यापित करने के लिए ओटीपी डालें।
8. अपने पैन (PAN) नम्बर को सत्यापित करें। (कृपया यह सुनिश्चित करें कि व्यक्ति का नाम पैन कार्ड में उल्लिखित नाम एक समान है।)
9. शपथ को पढ़ें और **I/We PLEDGE** पर क्लिक करें।
10. एक ‘Success’ मैसेज आयेगा।
11. प्रयोगकर्ता को सभी आवश्यक विवरण सहित होमस्टे के सफल पंजीकरण का एक आधिकारिक मेल प्राप्त होगा।
12. आवेदन फार्म प्रस्तुत होने पर फार्म को सम्बन्धित राज्य के नोडल अधिकारी द्वारा समीक्षा और अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित होने पर प्रयोगकर्ता को एक पुष्टि ई-मेल प्राप्त होगा जिसमें उसका निधि आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा।
13. इसके पश्चात एक शपथ प्रमाण-पत्र जारी कर प्रयोगकर्ता को मेल द्वारा भेजा जाएगा।

भारत में होमस्टे नीति के सम्बन्ध में दिनांक 16.03.2023 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 1903 के भाग (ख) के उत्तर में विवरण

देश में निधि पोर्टल पर पंजीकृत होमस्टे की राज्य-वार कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	20
2	आंध्र प्रदेश	2
3	अरुणाचल प्रदेश	107
4	असम	4
5	बिहार	1
6	चंडीगढ़	3
7	छत्तीसगढ़	4
8	दिल्ली	33
9	गोवा	46
10	गुजरात	7
11	हरियाणा	33
12	हिमाचल प्रदेश	307
13	जम्मू और कश्मीर	12
14	झारखंड	2
15	कर्नाटक	22
16	केरल	35
17	लद्दाख	14
18	मध्य प्रदेश	75
19	महाराष्ट्र	35
20	मणिपुर	2
21	मेघालय	8
22	नागालैंड	4
23	ओडिशा	15
24	पुदुचेरी	2
25	पंजाब	3
26	राजस्थान	39
27	तमिलनाडु	245
28	तेलंगाना	3
29	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1
30	उत्तराखंड	57
31	उत्तर प्रदेश	102
32	पश्चिम बंगाल	607
	कुल	1850